मेरठ विकास प्राधिकरण

की

83वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 31—5—2008

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31–5–2008 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 83 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31–5–2008 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 12–00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नवत उपस्थिति रही:–

1.	श्री शशि शेखर सिंह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती कामिनी चौहान रतन	जिलाधिकारी, मेरठ	सदस्य
3.	श्री डी0 सी0 गुप्ता	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री आर0पी0 कौशिक	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
5.	श्री ज्ञान सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ	सदस्य
6.	श्री एस0बी0 तिवारी	अपर निदेशक, जिला उद्योग, मेरठ	सदस्य
7.	सुश्री प्रभा सिंह	प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), मेरठ	सदस्य
8.	श्री उमेश मित्तल	अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ	सदस्य
9.	श्री कृपाल सिंह	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ	सदस्य
10.	श्री शैलेन्द्र चौधरी	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30–4–08 के कार्यवृत्त की पुष्टि

मेरठ विकास प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.4.2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

गंगानगर एवं रक्षापुरम आवासीय योजना के लिये सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पहले बनाने पर सहमति हुई। जल निगम के द्वारा गंगानगर एवं रक्षापुरम योजना के लिये सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु जो धनराशि की मांग की गयी है, उसे प्राधिकरण नियमानुसार उपलब्ध करायेगा। शताब्दीनगर योजना में बाद में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया जायेगा। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये है कि रक्षापुरम व गंगानगर योजना के लिये प्रस्तावित सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनौने की समय सारिणी आगामी बोर्ड बैठक में जलनिगम द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

अनुपूरक प्रस्ताव 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं को नगर निगम को हस्तान्तरण करने हेतु जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को अनिवार्य रूप से नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ व उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, की बैठक होनी चाहिये तथा बैठक में लिये गये निर्णय व उनके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये। गत बैठकं में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने पर अत्यन्त खेद ब्यक्त किया गया।

प्राधिकरण की 79 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

जोनल प्लान बनवाने की प्रगति पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया, विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि जोन–एक व जोन–दो के जोनल प्लान सहयुक्त नगर नियोजक द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत बनाये जायें। अवशेष

जोनों के जोनल प्लान बनाने हेतु निजी ब्यक्तियों/संस्थाओं से टेंडर निकाल कर उनसे जोनो के जोनल प्लान बनवाये जाये।

प्राधिकरण की 80 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

डा0 राम मनोहर लोहियानगर आवासीय योजना में अलोकप्रिय सम्पत्तियों के विंक्रय के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी महोदया पुनः कालोनाईजर/विल्डर्स की बैठक बुलाकर उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओ का निस्तारण हेतु आगामी बोर्ड बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या–1

हापुड़ रोड़ से दिल्ली रोड़ को जोड़ने वाले 45 मीटर चौडे महायोजना मार्ग के लिये भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्यो का आगणन जो लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन को प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण अपने किसी अधिकारी को भेजकर लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से आगामी बोर्ड बैठक को अवगत करायें।

मद संख्या–2

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे बरात घरों एवं फार्म हाऊस के सम्बन्ध में सहयुक्त नगर नियोजक, एन0सी0आर0 कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा यह भी निर्देश दिये गये कि अवैध रूप से संचालित हो रहे सभी बरात घरों एवं फार्म हाऊसो के विरूद्ध पूर्व में जो बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित करें तथा आगामी बोर्ड बैठक में की गयी कार्यवाही से अवगत करायें।

मद संख्या–4

ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि शासन को लिख कर यह अनुरोध किया जाये कि प्राधिकरण अपने स्तर से ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित करने के लिये निजी निवेशकर्ताओं से 'एक्शप्रेशन

ऑफ इन्ट्रेस्ट' की कार्यवाही करना चाहता है। इस हेतु शासन अनुमति प्रदान करें।

मद संख्या–5

अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक के द्वारा जो 11 अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव को रखा गया है। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि महायोजना–2021 व शासनादेश के अन्तर्गत जो शर्ते अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के लिये दी गयी है, उसके तहत कार्यवाही की जाये तथा जिन अवैध कालोनियों में मानकों की पूर्ति नही हो पा रही है तथा भूमि मानकों के अनुसार नही छोड़ी गयी है, ऐसी भूमि का आकंलन सर्किल रेट पर करा लिया जाये तथा आंकलित धनराशि को अवैध रूप से निर्मित भवनो के स्वामियों पर अनुपातिक रूप से आरोपित करते हुये वसूली की कार्यवाही की जाये। जो लोग धनराशि नही देते हैं उनके विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी करें। आगामी बोर्ड की बैठक में इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

इसके अतिरिक्त जो अवैध कालोनियां नियमितीकरण हेतु अनुपयुक्त पायी गयी उनके ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाये उसकी रिपोर्ट सहयुक्त नगर नियोजक, एन0सी0आर0 दिनांक 02.6.08 तक प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे और प्राधिकरण तदनुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मलिन बस्तियों का मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि केवल उन्ही मलिन बस्तियों में मानचित्र स्वीकृत किये जायें जिनकी सूची डूडा द्वारा जारी की गयी है। इस सम्बन्ध में मलिन बस्ती से सम्बन्धित डूडा से शासनादेश अवश्य प्राप्त कर लिये जाये।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या–1

वित्तीय वर्ष–2007–08 के आय–व्ययक के वित्तीय विशलेषण के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 30–4–08 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देश दिये गये कि वर्ष 2007–08 के वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2008–09 का बजट स्वीकृत किया जाता है।

मद सं0—8

मै0 दीवान दौलतराम एजूकेशन फाउण्डेशन का शैक्षिक मानचित्र सं0 115/07 की स्वीकृति के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित को आज ही अंतिम नोटिस समय सीमा देते हुए दिया जाये। अगर उसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

प्राधिकरण की 83 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या
मद सं0 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिनका आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है और आवंटियों द्वारा देय धनराशि पूर्ण जमा कर दी गयी है परन्तु विवाद अथवा मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अन्य सम्पत्ति में परिवर्तन का प्रस्ताव।

प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिनका आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है तथा आवंटियों द्वारा सम्पूर्ण आवंटन/रजिस्ट्रेशन धनराशि जमा करा दी गयी है परन्तु किसी कारणवश उन्हें भूखण्ड नहीं प्राप्त हो सका, के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि आगामी बोर्ड बैठक में ऐसे समस्त प्रकरण रखे जायें जिसमें कि प्रथम चरण में जो आवंटन किये गये हैं तथा जिनमें आवंटन धनराशि जमा की जा चुकी है उनके तीन वर्गीकरण कर दिये जायें:—

(क) वह आवंटन जिनमें भूमि उपलब्ध नहीं क्योंकि आवंटित प्लाट को किसी अन्य के नाम आवंटित कर दिया गया अथवा एक ही प्लाट के दो रजिस्ट्रेशन हो गये।
(ख) भूमि अर्जित ही नहीं की गयी है।
(ग) काल्पनिक आवंटन है क्योंकि मौके पर भूमि ही नहीं है बल्कि केवल कागज पर आवंटन है।

मद सं0 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पॉकेट "एफ" में कैंची उद्योग के भूखण्डो के आवंटन की शर्तो में शिथिलता किये जाने हेतु प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मेरठ द्वारा, प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर ली जाये ताकि पता चल सके कि आवेदन पत्रों के आवेदक कैंची उद्योग से सम्बन्धित है अथवा नहीं।

मद सं0 3

मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर एवं रक्षापुरम योजना की अर्जित भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करें। सामान्य स्थापित निरर्देशों के तहत अतिक्रमण हटाना प्राधिकरण के अधिकारियों की ब्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उत्तरदायित्व निर्वाहन न करने पर दोषी कर्मियों के विरुद्ध निलम्बन व सेवा बर्खातगी की कार्यवाही की जाये।

<u>अनुपूरक मद सं01</u>

दिल्ली देहरादून बाईपास मार्ग, मेरठ स्थित "एस्पन गार्डेन" का तलपट मानचित्र

दिल्ली देहरूदन बाईपास मार्ग मेरठ स्थित 'एस्पन गार्डेन' के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि भू-स्वामित्व के अतिरिक्त एस्पन गार्डेन के स्वामियों को धारा-154 (2) जेड एण्ड एल0आर0 एक्ट के तहत अनुमति प्राप्त करके आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

अनुपूरक मद सं0-2

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी व लोहियानगर आवासीय योजनाओं के बीच–बीच में अर्जन से छुटे नम्बरान की भूमि को अर्जित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी व लोहियानगर आवासीय योजनाओं के बीच–बीच में अर्जन से छूटे खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिग्रहण की कार्यवाही तत्काल की जाये तथा प्रस्ताव की यह पंक्ति "प्राधिकरण द्वारा इन खसरा नम्बरों में से कुछ पर नियोजन कर भूखण्ड बेचे जा चुके हैं। इसलिए इन खसरा नम्बरों का अर्जन आवश्यक है," विलुप्त की जाये।

अनुपूरक मद सं03

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में अर्जित ग्राम कुण्डा की भूमि खसरा सं0 372 क्षेत्रफल 1–7–0 बीघा को अर्जन मुक्त/ समायोजित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव बोर्ड द्वारा आगामी बैठक हेतु डेफर किया गया है।

बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण प्रत्येक सप्ताह, बोर्ड में दिये गये निर्णयो का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैठक करेंगे तथा बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष/आयुक्त को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

(शैलेन्द्र चौधरी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(शशि शेखर सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

14/06/08

(देवेन्द्र चौधरी)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।